न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/द्वितीय अपर सिविल जज (जे0डी0) रूडकी जिला हरिद्वार।	
उपस्थित–	अवन्तिका सिंह चौधरी, उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा। परिवाद संख्या– 317/2026 कम्प्यूटर संख्या– 1003/2023 सी0एन0आर0 नम्बरः–UKHA06-002190-2023
परिवादी	कुर्बान अली पुत्र श्री असलम अली निवासी मौहल्ला तेलीयान कस्बा झबरेडा थाना झबरेडा जिला हरिद्वार।
द्वारा प्रतिनिधित्व	श्री चौ0 गौरव कुमार, विद्वान अधिवक्ता
अभियुक्त	तेजपाल पुत्र प्रेम सिंह निवासी अकबरपुर उद तहसील व थाना लक्सर जिला हरिद्वार
द्वारा प्रतिनिधित्व	श्री रविन्द्र कुमार वर्मा, विद्वान अधिवक्ता।

परिवाद पत्र दाखिल करने का दिनांक	19–04–2023
आरोप विरचित/बयान अन्तर्गत धारा 251 द0प्र0सं0 अंकित किये जाने का दिनांक	12–11–2024
साक्ष्य प्रारम्भ होने का दिनांक	24–12–2024
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	29–07–2026
निर्णय का दिनांक	12–08–2026
सजा के आदेश की दिनांक (यदि कोई हो)	दोषमुक्त

<u>अभियुक्त का विवरण</u>

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	आत्मसर्मण/गिफ्तारी की तिथि	जमानत पर रिहा होने की तिथि	अपराध जिनका आरोप लगाया गया	दोषमुक्ति या दोषसिद्वि	दण्ड जो अधिरोपित किया गया	धारा– 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के उद्देश्य हेतु विचारण के दौरान जेल में निरूद्व रहने की अवधि
01.	तेजपाल पुत्र प्रेम सिंह	03.09.2024	03.09.2024	धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम	दोषमुक्त	.....	.....

<u>प्रस्तावना/वाद के संक्षिप्त तथ्य</u>

परिवादी कुर्बान अली द्वारा दिनांक 19–04–2023 को परिवाद पत्र अन्तर्गत धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम विरूद्व अभियुक्त तेजपाल, न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त का विचारण धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हेतु किया गया।

02– संक्षेप में परिवादी का कथन परिवाद पत्र कागज सं0–3क/01 लगायत 3क/03 में इस प्रकार है कि परिवादी के यहां आपका काफी टाईम से आना जाना व उठना बैठना था जिस कारण

(अवन्तिका सिंह चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय अपर सिविल जज
रूडकी, जिला हरिद्वार

आप व परिवादी के अच्छे सम्बन्ध थे तथा परिवादी का भी आपके घर आना–जाना था इन्ही सम्बन्धो के चलते आपने वर्ष 2021 में परिवादी को अपने शराब के ठेके जो कि नियर श्री सीमेन्ट फैक्ट्री ग्राम अकबरपुर उद में स्थित है में पार्टनरशिप हेतु परिवादी को प्रस्ताव दिया तो परिवादी ने आपसे पुराने सम्बन्ध होने व आपके व्यवहार को देखते हुये परिवादी ने आपके प्रस्तावित पार्टनशिप को स्वीकार कर लिया जिसके उपरान्त परिवादी आपको समय–समय पर उक्त शराब का ठेका चलाने हेतु पैसा अदा करते रहे जिसमें की समय–समय पर उक्त शराब के ठेके के लाभ के पैसे आप व परिवादी प्राप्त करते रहे। परन्तु उक्त शराब की दुकान का वर्ष/समय समाप्त होने पर परिवादी ने आपके साथ बैठकर हिसाब किया तो आप पर परिवादी के कुल मु० 11,09,000/–रू0 की पैसा अदा करने की देनदारी बनी। जिसके चलते अभियुक्त ने अपनी आर्थिक स्थिति को कमजोर बताया तथा कहा कि अभी मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए आप मुझे कुछ समय प्रदान कर दो। जिस पर परिवादी अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को समझते हुये परिवादी 7,50,000/–रू0 पर राजी हो गये। उक्त समझौतेनामे/राजीनामें की छायाप्रति वादपत्र के साथ संलग्न है। जिस पर भी अभियुक्त ने परिवादी से समय मांगा तथा जिसकी बाबत रूडकी कचहरी में नोटरी द्वारा एक लिखत पढत भी की गयी थी तथा अभियुक्त के द्वारा परिवादी को उक्त देनदारी की बाबत दो चैक प्रदान किये गये जिसमें की एक चैक मु० 3,50,000/–रू० जो कि बैंक ऑफ बडौदा शाखा लक्सर खाता सं0–38030100001114 चैक सं0–000020 दिनांकित 20.02.2023 प्रदान किया जो कि परिवादी ने दिनांक 01.03.2023 को अपने बैंक भारतीय स्टेट बैंक शाखा झबरेडा खाता सं0–34409024867 में प्रस्तुत किया। परन्तु दिनांक 01.03.2023 को ही परिवादी के बैंक द्वारा अभियुक्त का चैक पेमेन्ट स्टापड बाये ड्रावर की टिप्पणी के साथ वापस कर दिया। चूंकि आपके द्वारा परिवादी को दिया गया उक्त चैक पेमेन्ट स्टापड बाये ड्रावर होने के कारण डिस्ऑनर कर दिया गया हैं। इसके बाद परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अभियुक्त को दिनांक 24.03.2023 ई० को अभियुक्त के निवास के उक्त सही पते पर रजिस्ट्री द्वारा भेजा गया जो कि अभियुक्त को दिनांक 31.03.2023 को प्राप्त हो गया जिसकी ट्रेकिंग रिपोर्ट वादपत्र के साथ संलग्न है। इसलिए माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नियमानुसार वाद कारण उत्पन्न हुआ है।अभियुक्त ने धारा 138 एन०आई० एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है। अतः उपरोक्त कारण के आधार पर अभियुक्त को तलब फरमाकर परिवादी को अभियुक्त से नियमानुसार अभियुक्त के द्वारा परिवादी को दिये गये उक्त चैक में लिखित धनराशि मु० 3,50,000/– रू० मय ब्याज दिलायी जाकर अभियुक्त को नियमानुसार अर्थ दण्ड एवं कारावास से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गयी।

03– परिवाद दर्ज होने के उपरान्त परिवादी द्वारा धारा 200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अपना बयान शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया है और धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया।

04– अभियुक्त को धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के अपराध के विचारण हेतु आहूत किया गया।

05– अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 251 दण्ड प्रक्रिया संहिता में अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त द्वारा कथन किया गया कि **"चैक पर मेरे हस्ताक्षर है लेकिन मैने परिवादी को चैक नहीं दिये थे। परिवादी मेरा पार्टनर था। परिवादी ने 7–8 चैक चोरी किये थे। मुझे झबरेडा से फोन**

(अवन्तिका सिंह चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय अपर सिविल जज
रूडकी, जिला हरिद्वार

आने के बाद चैक चोरी की जानकारी हुई।''

<u>परिवादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य–</u>

06– परिवादी ने अपने मौखिक साक्ष्य में पी0डब्ल्यू0–01 कुर्बान अली का साक्ष्य शपथपत्र कागज सं0–4क/01 लगायत 4क/03 प्रस्तुत कर इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी।

<u>परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य–</u>

07– परिवादी द्वारा अपने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 6क/1 से एक मूल चैक संख्या 000021 कागज संख्या–7क/1, अनादरण की सूचना कागज सं0–8क, नोटिस दिनांक 24.03.2023 कागज संख्या 9क, डाक रसीद कागज सं0–10क, नेट ट्रेकिंग रिपोर्ट कागज सं0 11क पत्रावली पर प्रस्तुत किये गये है।

08– परिवादी का साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त दिनांक 21.04.2025 को अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 अंकित किये गये, जिसके अन्तर्गत अभियुक्त ने कथन किया है कि **''मेरा चैक चोरी हो गया था। मैने पेमेंट स्टॉप कराया था। थाने लक्सर में तहरीर दी थी। मेरे 7–8 चैक चोरी हो गये थे।''** अभियुक्त द्वारा धारा–437क द0प्र0सं0 का अनुपालन किया गया।

09– परिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री चौ0 गौरव कुमार एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता रविन्द्र कुमार वर्मा को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का सम्यक् अवलोकन किया।

10– प्रस्तुत परिवाद में अभियुक्त के विरूद्ध पराक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 का अभियोग है। इस परिपेक्ष्य में पराक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 का उल्लेख किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है–

138. खाते में अपर्याप्त निधियों, आदि के कारण चैक का अनादरण–जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए किसी बैंककार के पास अपने द्वारा रखे गये खाते में से किसी अन्य व्यक्ति को किसी धनराशि के संदाय के लिए लिखा गया कोई चैक बैंक द्वारा संदाय किए बिना या तो इस कारण लौटा दिया जाता है कि उस खाते में जमा धनराशि उस चैक का आदरण करने के लिए अपर्याप्त है या वह उस रकम से अधिक है जिसका बैंक के साथ किए गए करार द्वारा उस खातें में से संदाय करने का ठहराव किया गया है, वहां ऐसे व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपराध किया है और वह, इस अधिनियम के सिकी अन्य उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ,कारावास से, जिसकी अवधि (दो वर्ष) तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो चैक की रकम का दुगुना तक हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगाः

परन्तु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात तक तक लागू नहीं होगी जब तक–

क. वह चैक उसके लिखे जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर या उसकी विधिमान्यता की अवधि के भीतर जो भी पूर्वतर हो, बैंक को प्रस्तुत न किया गया हो,

ख. चैक का पाने वाला या धारक, सम्यक् अनुक्रम में चैक के लेखीवाल को असंदत्त

(अवन्तिका सिंह चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय अपर सिविल जज
रूडकी, जिला हरिद्वार

चैक के लौटाए जाने की बाबत बैंक से उसे सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, लिखित रूप में सूचना देकर उक्त धनराशि के संदाय के लिए मांग नहीं करता है, और

ग. ऐसे चैक का लेखीवाल, चैक के पाने वाले को या धारक को उक्त सूचना की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर उक्त धनराशि का संदाय सम्यक् अनुक्रम में करने में असफल नहीं रहता है।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''ऋण या अन्य दायित्व'' से विधितः प्रवर्तनीय ऋण या अन्य दायित्व अभिप्रेत है।

11– प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप साबित करने के लिए पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि परिवादी स्वयं द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अन्तर्गत आरोप को सिद्ध करने में सफल रहा है अथवा नहीं? इस कारण प्रस्तुत मामले में साक्ष्यों की विवेचना एवं पक्षकारों के तर्कों के आधार पर न्यायालय को निम्न बिन्दु निष्कर्षित करना है–

(i) क्या अभियुक्त द्वारा परिवादी को अपने प्रति किसी विधितः प्रर्वतनीय ऋण या दायित्व के उन्मोचन के लिए चैक सं0–000020, मु0–3,50,000/–रूपये, दिनांकित 02.03.2023 बैंक ऑफ बडौदा शाखा लक्सर हरिद्वार का परिवादी को दिया गया था?

(ii) क्या प्रश्नगत चैक भुगतान हेतु प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा अनादृत कर दिया गया?

(iii) क्या परिवादी द्वारा अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के परन्तुक के अनुसार विधिक नोटिस प्रेषित किया गया, जो उसे विधितः तामील हुआ?

(iv) क्या अभियुक्त द्वारा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया गया है?

12– इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्त द्वारा परिवादी को किसी ऋण अथवा दायित्व के एवज में चैक प्रदान किया गया हो तथा इस ऋण अथवा दायित्व की अदायगी परिवादी द्वारा प्रर्वतनीय हो?

13– न्यायालय को प्रथम रूप से यह देखना है कि क्या अभियुक्त द्वारा परिवादी को किसी ऋण या दायित्व के उन्मोचन के लिए प्रश्नगत चैक दिया गया है। परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र एवं साक्ष्य शपथपत्र में यह कथन किया गया है कि अभियुक्त ने वर्ष 2021 में परिवादी को अपने शराब के ठेके में पार्टनरशिप हेतु परिवादी को प्रस्ताव दिया तो परिवादी ने अभियुक्त के प्रस्तावित पार्टनशिप को स्वीकार कर लिया जिसके उपरान्त परिवादी आपको समय–समय पर उक्त शराब का ठेका चलाने हेतु पैसा अदा करते रहे जिसमें की समय–समय पर उक्त शराब के ठेके के लाभ के पैसे आप व परिवादी प्राप्त करते रहे। परन्तु उक्त शराब की दुकान का वर्ष/समय समाप्त होने पर परिवादी

(अवन्तिका सिंह चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय अपर सिविल जज
रूडकी, जिला हरिद्वार

ने आपके साथ बैठकर हिसाब किया तो आप पर परिवादी के कुल मु० 11,09,000/–रू0 की पैसा अदा करने की देनदारी बनी। परिवादी अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को समझते हुये परिवादी 7,50,000/–रू0 पर राजी हो गये। अभियुक्त के द्वारा परिवादी को उक्त देनदारी की बाबत दो चैक प्रदान किये गये जिसमें की एक चैक मु० 3,50,000/–रू० जो कि बैंक ऑफ बडौदा शाखा लक्सर खाता सं0–38030100001114 चैक सं0–000020 दिनांकित 20.02.2023 प्रदान किया जो कि परिवादी ने दिनांक 06.03.2023 को अपने बैंक भारतीय स्टेट बैंक शाखा झबरेडा खाता सं0–34409024867 में प्रस्तुत किया। परन्तु दिनांक 01.03.2023 को ही परिवादी के बैंक द्वारा अभियुक्त का चैक पेमेन्ट स्टापड बाये ड्रावर की टिप्पणी के साथ वापस कर दिया। इसके बाद परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अभियुक्त को दिनांक 24.03.2023 ई० को अभियुक्त के निवास के उक्त सही पते पर रजिस्ट्री द्वारा भेजा गया जो कि अभियुक्त को दिनांक 31.03.2023 को प्राप्त हो गया जिसकी ट्रेकिंग रिपोर्ट वादपत्र के साथ संलग्न है।

14. अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में बयान अंतर्गत धारा 251 तथा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रश्नगत चैक पर अपने हस्ताक्षर होने से इंकार नहीं किया गया है, परन्तु यह कथन किये गये है कि *''मेरा चैक चोरी हो गया था। मैने पेमेंट स्टॉप कराया था। थाने लक्सर में तहरीर दी थी। मेरे 7–8 चैक चोरी हो गये थे।''*

15. विधितः प्रवर्तनीय ऋण के संबधं में पराक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 118ए सपठित धारा 139 यह प्रावधान करती है कि –

धारा 118ए– प्रतिफल के विषय में–हर एक परक्राम्य लिखत प्रतिफलार्थ रचित या लिखी गई थी और यह कि हर ऐसी लिखत जब प्रतिगृहीत, पृठांकित, परक्रामित या अन्तरित हो चुकी हो तब वह प्रतिफलार्थ, प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित, परक्रामित या अन्तरित की गई थी।

धारा 139– धारक के पक्ष में उपधारणा–जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न हो, यह उपधारणा की जाएगी कि चैक के धारक ने धार 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चैक किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है।

उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन से विदित है कि न्यायालय द्वारा पराक्राम्य लिखत के सम्बन्ध में यह उपधारणा की जायेगी कि ऐसा पराक्राम्य लिखत किसी ऋण या अन्य दायित्व के उन्मोचन के सम्बन्ध में जारी किया गया है, परन्तु उक्त उपधारणा खण्डनीय है तथा इसे खण्डित करने का भार अभियुक्त पर है।

16. परिवादी का कथन है कि उसके एवं अभियुक्त के मध्य शराब की दुकान के व्यवसाय से संबंधित आर्थिक व्यवहार था तथा अभियुक्त के ऊपर उसकी धनराशि देय थी, जिसके भुगतान हेतु अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत ₹3,50,000/– का चैक प्रदान किया गया। अभियुक्त द्वारा चैक पर अपने हस्ताक्षर से पूर्णतः इंकार नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में धारा 118(क) एवं 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अधीन परिवादी के पक्ष में यह वैधानिक उपधारणा प्रारंभतः उत्पन्न होती है कि चेक प्रतिफल एवं किसी ऋण अथवा देयता के निर्वहन हेतु जारी किया गया था। तथापि उक्त उपधारणा खंडनीय है और अभियुक्त को इसे खंडित करने के लिए अपना प्रतिरक्षण संदेह से परे सिद्ध करना

(अवन्तिका सिंह चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय अपर सिविल जज
रूडकी, जिला हरिद्वार

आवश्यक नहीं है। वह संभावनाओं की प्रबलता के मानक पर परिवादी के साक्ष्य एवं परिस्थितियों से भी संभावित प्रतिरक्षा स्थापित कर सकता है।

17. अतः प्रश्नगत मामले में केवल चेक एवं हस्ताक्षर के आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती, बल्कि अभियुक्त द्वारा उठायी गयी प्रतिरक्षा के दृष्टिगत यह देखना आवश्यक है कि क्या प्रश्नगत चेक प्रस्तुत किये जाने की तिथि पर अभियुक्त के विरुद्ध वास्तव में ₹3,50,000/– की निश्चित एवं विधिक रूप से प्रवर्तनीय देयता विद्यमान थी।

18. परिवादी के कथन का मूल आधार पक्षकारों के मध्य व्यवसायिक/साझेदारी संबंध एवं उसी से उत्पन्न आर्थिक लेन–देन है। परिवादी की ओर से साझेदारी दर्शाने हेतु प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन करने पर वह मूल दस्तावेज न होकर छायाप्रति है। इसी प्रकार पक्षकारों के मध्य कथित हिसाब अथवा देयता से संबंधित जिस समझौतानामा पर परिवादी निर्भर करता है, वह भी मूल रूप में प्रस्तुत न होकर उसकी छायाप्रति ही पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी है। उक्त समझौतानामा पर अंकित दोनों साक्षियों को भी परिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है। फलतः उक्त दस्तावेज की निष्पादन संबंधी सत्यता एवं उसमें उल्लिखित कथित देयता को स्वतंत्र मौखिक साक्ष्य से पुष्ट नहीं किया गया है। यह भी महत्वपूर्ण यह है कि परिवादी के मामले में कथित देयता की गणना एवं उसका स्रोत स्पष्ट नहीं है। पत्रावली पर ऐसी कोई स्पष्ट लेखा–विवरणी, बही–खाता, हिसाब–किताब अथवा अन्य विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह ज्ञात हो कि अभियुक्त के ऊपर बतायी गयी ₹11,09,000/– की देयता आखिर किन–किन लेन–देन के फलस्वरूप बनी। इसी प्रकार यदि किसी स्तर पर अभियुक्त के ऊपर ₹7,50,000/– शेष देयता बतायी गयी है तो उक्त धनराशि तक पहुंचने का आधार अथवा गणना भी साक्ष्य से स्पष्ट नहीं होती।

19. परिवादी ने यह भी स्पष्ट एवं सुसंगत रूप से नहीं बताया है कि अभियुक्त को उसके द्वारा किस–किस तिथि को कितनी–कितनी धनराशि दी गयी, किस माध्यम से दी गयी तथा प्रत्येक भुगतान का उद्देश्य क्या था। परिवाद में कथित देयता का कोई ऐसा क्रमवार विवरण नहीं है जिससे न्यायालय स्वतंत्र रूप से यह सत्यापित कर सके कि विभिन्न भुगतान एवं वापसी के पश्चात ठीक ₹3,50,000/– की धनराशि अभियुक्त के ऊपर शेष रह गयी थी। धारा 138 N-I- Act के लिए चेक की धनराशि का किसी वास्तविक एवं विधिक रूप से प्रवर्तनीय देयता से संबंध होना आवश्यक है। जहां पक्षकारों के मध्य अनेक आर्थिक लेन–देन स्वीकार्य हों, वहां यह तथ्य और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि परिवादी यह स्पष्ट करे कि प्रश्नगत चेक किस विशिष्ट बकाया देयता के निर्वहन हेतु दिया गया था।

20. पत्रावली पर उपलब्ध बैंक अभिलेखों से यह भी स्पष्ट है कि पक्षकारों के मध्य लेन–देन एकतरफा नहीं था। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 21.11.2022 को अभियुक्त के खाते से परिवादी के खाते में ₹5,45,000/– की धनराशि हस्तांतरित हुई थी। परिवादी PW–1 कुर्बान अली ने पुनःपरीक्षण में भी उक्त ₹5,45,000/– प्राप्त होने की बात स्वीकार की है। दूसरी ओर परिवादी के PNB खाते के विवरण में अभियुक्त तेजपाल के पक्ष में 26.11.2022 को ₹4,00,000/– तथा ₹1,00,000/–, उसी दिन ₹5,000/– तथा 27.11.2022 को ₹40,000/– के हस्तांतरण परिलक्षित होते हैं। अतः अभिलेख स्वयं यह दर्शाते हैं कि पक्षकारों के मध्य पर्याप्त मात्रा में

(अवन्तिका सिंह चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय अपर सिविल जज
रूडकी, जिला हरिद्वार

पारस्परिक बैंकिंग लेन–देन चल रहे थे।

21. उक्त बैंकिंग व्यवहार को परिवादी के कथित बकाया के साथ समायोजित करके कोई समेकित लेखा–विवरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। फलतः केवल विभिन्न बैंक प्रविष्टियों के आधार पर न्यायालय स्वयं हिसाब लगाकर यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि किसी निश्चित तिथि पर अभियुक्त के ऊपर परिवादी की ठीक ₹3,50,000/– की विधिक देयता शेष थी। विशेष रूप से जब परिवादी स्वयं ₹5,45,000/– की प्राप्ति स्वीकार करता है और उसके खाते से भी अभियुक्त को विभिन्न धनराशियां वापस हस्तांतरित होना अभिलेखित है, तब कथित मूल देयता, भुगतान, वापसी तथा शेष राशि की स्पष्ट श्रृंखला स्थापित किया जाना आवश्यक था।

22. परिवादी द्वारा प्रस्तुत साझेदारी संबंधी दस्तावेज से भी परिवादी का कथन निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं होता। उक्त दस्तावेज की छायाप्रति में पक्षकारों के मध्य शराब की दुकान के व्यवसाय में 50–50 प्रतिशत साझेदारी तथा द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के खाते में ₹6,00,000/– हस्तांतरित किये जाने का उल्लेख है। परंतु उक्त दस्तावेज अपने मूल रूप में सिद्ध नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त स्वयं उक्त दस्तावेज में उल्लिखित ₹6,00,000/– की राशि से यह स्वतः प्रमाणित नहीं होता कि बाद में अभियुक्त के ऊपर ₹11,09,000/–, ₹7,50,000/– अथवा प्रश्नगत तिथि पर ₹3,50,000/– की देयता कैसे उत्पन्न हुई।

23. अभियुक्त की ओर से यह प्रतिरक्षा भी सामने आयी है कि पक्षकारों के मध्य शराब व्यवसाय को लेकर पूर्व से व्यापारिक संबंध एवं विवाद थे। अभियुक्त द्वारा धारा 251 एवं 313 दं०प्र०सं० के कथनों में परिवादी के दावे को अस्वीकार करते हुए चेक के दुरुपयोग तथा पूर्व व्यापारिक व्यवहार का प्रतिरक्षण लिया गया है। अभियुक्त के प्रतिरक्षण को पृथक रूप से संदेह से परे सिद्ध किया जाना आवश्यक नहीं है। न्यायालय को समस्त साक्ष्य के आधार पर यह देखना है कि क्या उसका प्रतिरक्षण इतना संभावित है कि धारा 139 की उपधारणा खंडित हो सके।

24. इस संबंध में अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट तथा परिवादी की प्रतिपरीक्षा विशेष महत्व रखती है। ये परिस्थितियां पक्षकारों के मध्य पूर्व से व्यापक एवं परस्पर आर्थिक व्यवहार होना प्रदर्शित करती हैं। जब इसे परिवादी द्वारा कथित देयता की गणना प्रस्तुत न करने, समझौतानामा एवं साझेदारी दस्तावेज की मात्र छायाप्रति प्रस्तुत करने तथा समझौतानामा के दोनों साक्षियों को परीक्षित न कराने के साथ समग्र रूप से देखा जाता है, तो अभियुक्त का प्रतिरक्षण संभावनाओं की प्रबलता के स्तर पर एक संभावित प्रतिरक्षा के रूप में परिलक्षित होता है।

25. इस प्रकार अभियुक्त द्वारा संभावित प्रतिरक्षा स्थापित कर दिये जाने के पश्चात धारा 139 N-I-Act की वैधानिक उपधारणा का प्रभाव खंडित हो जाता है और प्रमाण का भार पुनः परिवादी पर आ जाता है कि वह प्रश्नगत चैक की तिथि पर अभियुक्त के विरुद्ध ₹3,50,000/– की वास्तविक, निश्चित एवं विधिक रूप से प्रवर्तनीय देयता को विश्वसनीय साक्ष्य से स्थापित करे। वर्तमान प्रकरण में परिवादी ऐसा करने में सफल नहीं हुआ है।

26. न्यायालय का निष्कर्ष इस आधार पर नहीं है कि पक्षकारों के मध्य कभी कोई आर्थिक व्यवहार

(अवन्तिका सिंह चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय अपर सिविल जज
रूडकी, जिला हरिद्वार

हुआ ही नहीं। इसके विपरीत, अभिलेख से उनके मध्य पर्याप्त आर्थिक व्यवहार होना स्पष्ट है। किंतु आर्थिक व्यवहार का अस्तित्व और प्रश्नगत चेक के बराबर विधिक देयता का अस्तित्व दो पृथक तथ्य हैं। धारा 138 के अंतर्गत दोषसिद्धि हेतु दूसरा तथ्य आवश्यक है। उपलब्ध साक्ष्य से यह निश्चित रूप से स्थापित नहीं होता कि प्रश्नगत चैक संख्या 000020 दिनांक 20.02.2023 प्रस्तुत किये जाने के समय अभियुक्त के ऊपर परिवादी की ₹3,50,000/– की विधिक रूप से प्रवर्तनीय देयता शेष थी।

27. अतः समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का समग्र मूल्यांकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त धारा 118(क) एवं 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न उपधारणा को संभावनाओं की प्रबलता के मानक पर खंडित करने में सफल रहा है, जबकि उसके पश्चात परिवादी प्रश्नगत ₹3,50,000/– की विधिक रूप से प्रवर्तनीय देयता को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के आवश्यक तत्व संदेह से परे सिद्ध नहीं होते है और अभियुक्त संदेह के लाभ का अधिकारी है।

28. अतः अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 का अपराध साबित नहीं होता हैं तथा अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त तेजपाल पुत्र प्रेम सिह को आरोपित आरोप धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 से दोष मुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है, उसके बन्धपत्र एवं जमानतनामों को निरस्त किया जाता है एवं जमानतियों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा धारा–437ए द0प्र0सं0 के अंतर्गत दाखिल बंधपत्र एवं प्रतिभूगण के जमानतनामें अगले छः माह तक प्रवृत्त रहेंगे तथा इस दौरान माननीय उच्चतर न्यायालय में अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त हो जायेंगे।

दिनांक–12.08.2026

(अवन्तिका सिंह चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय अपर सिविल जज (जे0डी0)
रूडकी, जिला हरिद्वार

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनॉकित कर, सुनाया गया।

दिनांक–12.08.2026

(अवन्तिका सिंह चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय अपर सिविल जज (जे0डी0)
रूडकी, जिला हरिद्वार

(अवन्तिका सिंह चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय अपर सिविल जज
रूडकी, जिला हरिद्वार

APPENDIX OF EVIDENCE

(Annexure-1)

अभियोजन/बचाव/न्यायालय के साक्षियों की सूची

A- परिवादी साक्षी–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी0डब्ल्यू0–01	कुर्बान अली	परिवादी/तथ्य का गवाह

B- बचाव साक्षी–

श्रेणी	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
.....	.....	.....

C- न्यायालय साक्षी –

श्रेणी	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

(Annexure-2)

अभियोजन/बचाव/न्यायालय के दस्तावेजी साक्ष्यों की सूची–

A- परिवादी साक्ष्य–

क्रमांक	कागज संख्या	दस्तावेजी साक्ष्य
01	कागज संख्या–7क	चैक संख्या 000021
02	कागज संख्या–8क	अनादरण की सूचना
03	कागज सं0–9क	नोटिस
04	कागज सं0–10क	डाक रसीद
05	कागज सं0–11क	नेट ट्रेक रिपोर्ट

B- बचाव/अभियुक्त दस्तावेजी साक्ष्य–

क्रमांक	कागज संख्या	दस्तावेजी साक्ष्य
––	––	––

C- न्यायालय दस्तावेजी साक्ष्य–

क्रमांक	प्रदर्श	दस्तावेजी साक्ष्य
––	––	––

D- वस्तु प्रदर्श साक्ष्य–

क्रमांक	वस्तु प्रदर्श संख्या	विवरण
––	––	––

दिनांक–12.08.2026

(अवन्तिका सिंह चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय अपर सिविल जज (जे0डी0)
रूडकी, जिला हरिद्वार

(अवन्तिका सिंह चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय अपर सिविल जज
रूडकी, जिला हरिद्वार